113

523

# उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाष : 0522–2621737, 2274250
फैक्स : 0522-2623578, 2615526

पत्र सं0 306 री/11–03 री/09–11 दिनांक : 28 जनवरी 2011

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम/प्रबन्ध निदेशक, सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर, आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ।

विषयः जेएनएनयूआरएम योजना से संबंधित शासन के विभिन्न दिशा निर्देशों के संबंध में।

विष्यांकित प्रकरण में यह आग्रह किया गया था कि जेएनएनयूआरएम से संबंधित शासन के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एस0पी0वी0 स्तर पर उपलब्ध नही है। महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. भारत सरकार, नगर विकास मंत्रालय के डीओ नं0 के0–14011/48/2006–यूटी(पीटी) दिनांक 12 जनवरी 2009 द्वारा इस योजना की फडिंग तथा बसों के क्रय [illegible] विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं जिस [illegible] यह योजना विकसित हुई है।

2. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र सं0 1841/नौ–5–2009–83सा [illegible] दिनांक 02 मार्च 2009 द्वारा उ0प्र0 में नगरीय परिवहन व्यवस्था में सुधार हेतु शहरी परिवहन निदेशालय की स्थापना एवं सात शहरों में नगरीय बस सेवा का संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। यह दिशा निर्देश उपर्युक्त भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं।

3. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र सं0 2575(2)/नौ–5–2009–83सा/2009 दिनांक–20 अप्रैल 2009 द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 11.04.2009 का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसमें एसपीवी के गठन का निर्णय लिया गया तथा कम्पनी में नगर निगम, विकास प्राधिकरण तथा यूपी परिवहन निगम के अधिकारी बराबर–बराबर संख्या में रखने के आदेश देने के साथ अर्बन ट्रान्सपोर्ट निदेशालय के एक अधिकारी तथा आरटीओ को भी कम्पनी में रखने के निर्देश दिये गये।

4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम के आदेश संख्या 219एमडी/पीए/2009 दिनांक 31.08.2009 को प्रसंज्ञान में लेते हुये नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 6750/नौ–5–09–164सा/09 दिनांक 27,अक्टूबर,2009 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 को नामांकित अधिकारी श्री प्रभाकर मिश्रा, स0क्षे0प्र0(संचालन) को एसपीवी का प्रबन्ध निदेशक नामित होने की सूचना दी गयी। तत्क्रम में निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा संबंधित अधिकारी से निदेशक नामांकन हेतु विभिन्न अभिलेख मांगे गये। पत्र संख्या 2970री–03री/2009 दिनांक 30.11.2009 द्वारा श्री राजीव चौहान, श्री डी0वी0 सिंह, श्री रामजीत वर्मा, श्री ए0के0 झा, श्री एच0एस0 गाबा

एवं श्री नीरज सक्सेना, क्षेत्रीय प्रबन्धकों को कमशः लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ एवं आगरा (मथुरा सम्मिलित) को परिवहन निगम का प्रतिनिधित्व करने के संबंध में निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र संख्या 4101/125/09–10 दिनांक 12.11.2009 के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रेषित किया गया। नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 8032/नौ–5–2009–83सा/09टीसी दिनांक 10.12.2009 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री प्रभाकर मिश्रा, स0क्षे0प्र0(संचालन) के नामांकन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 314/नौ–5–2010–504सा/2009 दिनांक 25.01.2010 द्वारा जेएनएनयूआरएम के यूआई जी कार्यान्श के नगरीय परिवहन परियोजना के अंतर्गत मिशन सिटी के शहरों में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित होने वाले एसपीवी के पंजीकरण हेतु लखनऊ एसपीवी पेड–अप कैपिटल के निर्धारण के संबंध में आदेश जारी किये गये। समाशय के आदेश शासन द्वारा अन्य एसपीवी के गठन के भी जारी किये गये हैं।

5. परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 819/30–1–2009–5(60)/09 दिनांक 26.05.09 द्वारा अतिरिक्त मण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 29.04.2009 का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसमें अतिरिक्त कर नगर बसों से माफ करने के निर्देश दिये गये, विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम को 30 प्रतिशत पूंजी में 10–10 प्रतिशत का प्रतिभागी बनाया गया। किराया निर्धारण के संबंध में आदेश दिये गये।

6. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 7716/नौ–5–504सा/2009 दिनांक 23.12.2009 द्वारा जेएनएनयूआरएम के यूआईजी कार्यान्श के नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत मिशन सिटी के शहरों में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता [illegible] होने वाले एसपीवी के पंजीकरण हेतु अथराइज्ड कैपिटल के निर्धारण के [illegible] शासनादेश।

7. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 2714/नौ–5–2010–161[illegible] दिनांक 09.06.2010 द्वारा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2010 की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसमें स्ट्रेटजिक पार्टनर के [illegible] प्रक्रिया एवं आरएफक्यू एवं आरएफपी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये।

8. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 4327(1)/नौ–5–2010–83सा/2009 दिनांक 28.05.2010 द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसके बिन्दु सं0–3 में निर्णय लिया गया कि –

"बिन्दु–3 नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत नगरीय बसों के संचालन हेतु बस टर्मिनल, स्टेशन, शेल्टर इत्यादि के लिए भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है। इस संबंध में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण तथा नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा को पूर्व में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि पुनः उनकी ओर से संबंधितों को पत्र लिखा जाय तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्तों को भी भेजी जाय।"

9. परिवहन निगम मुख्यालय के पत्र सं0 1798 रो/2010 दिनांक 30.06.2010 द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2010 की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसके बिन्दु सं0–1, 4 एवं 5 में निर्णय लिया गया कि –

"बिन्दु–1: पैरा स्टेटल के रूप में परिवहन निगम द्वारा जेएनएनयूआरएम की बसों को [illegible]

(5 21) 117

हेतु लिए गये ऋण का नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण द्वारा समानुपातिक रूप से वहन किया जाएगा तथा यह धनराशि परिवहन निगम को शीघ्र दिलाने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा संबंधित संस्थानों (नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों) को निर्देश निर्गत किए जाए।.

बिन्दु–4, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी में एसपीवी पंजीकृत हो गई है, मेरठ एवं आगरा की कार्यवाही गतिशील है। गठित एसपीवी में बसों के संचालन को स्थानान्तरित करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जब तक स्ट्रेटजिक प्राईवेट पार्टनर नही मिल जाते हैं तब तक परिवहन निगम द्वारा ही संचालन किया जाता रहेगा। प्राईवेट स्ट्रेटजिक पार्टनर से संबंधित प्रकिया में नगर विकास विभाग द्वारा शीघ्रता की जाए।.

बिन्दु–5, नगरीय बसों में राईडरशिप लखनऊ को छोड़कर अन्य शहरों में अत्यन्त कम है। वातानुकूलित बसों के किराये में की गई कमी के सापेक्ष अवगत कराया गया कि इससे इन बसों में राईडरशिप बढ़ी है। समस्त नगरों में नगरीय बसों में राईडरशिप में अग्रेतर विकास के लिए एक विशिष्ट वार्षिक/छमाही/मासिक पास योजना, अत्यन्त कम दरों पर, भी लागू कर दी गई है।"

10. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 4805(1)/नौ–5–2010–297सा/10 दिनांक 20.06.2010 द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2010 की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसके बिन्दु सं0–1, 4 एवं 5 में निर्णय लिया गया कि –

"बिन्दु–1: नगरीय बसों के संचालन के परिप्रेक्ष्य में बसों के डिपो हेतु यूपीएसआरटीसी द्वारा चिन्हित भूमि प्राप्त किये जाने हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक कराकर निर्णय लिया जाय।.

बिन्दु–2: नगरीय बसों के अन्दर एवं बाहर तथा बस स्टाप पर विज्ञापन का टेण्डर ... द्वारा कराया जाय तथा इससे होने वाली आय को एसपीवी के खाते में जमा कराया जाय।.

बिन्दु–3: नगरीय बसों के संचालन के परिप्रेक्ष्य में मासिक एमएसटी/दैनिक एमएसटी के संबंध में निर्णय संबंधित एसपीवी द्वारा लिया जाय ताकि अग्रिम आय सुरक्षित हो सके।.

बिन्दु–4: नगरीय बसों के संचालन में जिन रूटों/मार्गों में किराया उचित प्रतीत नही हो रहा हो वहाँ पर एसपीवी द्वारा निर्णय लेकर किराये को संशोधित कर लिया जाय।.

बिन्दु–5: नगरीय सीमा के अन्तर्गत कितनी दूरी तक बसों का संचालन किया जाना है। इसके संबंध में वायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एसपीवी द्वारा निर्णय ले लिया जाय।

11. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 4805(2)/नौ–5–2010–570सा/09 दिनांक 27.07.2010 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2010 की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसके बिन्दु सं0– 5 में निर्णय लिया गया कि –

"बिन्दु–5: बसों के संचालन के परिप्रेक्ष्य में भूमि की आवश्यकता के प्रश्न के संदर्भ में यह उपयुक्त पाया गया कि मिशन शहरों में भूमि को चिन्हित किया जाय। यदि यह भूमि नगर निगम/प्राधिकरण को गाँव सभा या शासन से मिली है तो उसे निःशुल्क उपलब्ध करायें। अन्यथा उसका मूल्य देकर कय/अधिग्रहण किया जा सकता है। प्रयास यह हो कि मिशन शहरों में भूमि निःशुल्क प्राप्त हो सके। ऐसी चिन्हित भूमि को मास्टर प्लान में डालकर उसे फ्रीज कर दिया जाय।

12. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 4637/नौ–5–2010–83सा/09

दिनांक 23.08.2010 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2010 का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसके बिन्दु सं0– 4 एवं 5 में निर्णय लिया गया कि –

"बिन्दु–4: नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत मिशन शहरों में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एसपीवी को परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के कम में इक्विटी पूजी, ऋणों तथा नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण एवं पैरा स्टेटल (यूपीएसआरटीसी) के अंश के संबंध में विस्तृत रूप से विचार–विमर्श कर हस्तांतकरण की प्रक्रिया एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करा लिया जाय।.

बिन्दु–5: नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत मिशन शहरों में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एसपीवी को परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण हेतु हस्तांतरण की प्रकिया अंश पूंजी तथा ऋणों के मूल्यांकन इत्यादि हेतु यूपीएसआरटीसी द्वारा यूएमटीसी को आबद्ध करने पर विचार कर लिया जाय, ताकि आसानी से इस कार्य को सम्पन्न किया जा सके।

3) नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 7080/नौ–5–2010–83सा/09 टीसी दिनांक 02.11.2010 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05.10.2010 की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। इसके बिन्दु सं0– 5 में निर्णय लिया गया कि –

बिन्दु–5: मिशन शहरों में नगरीय बसों के संचालन हेतु बस डिपो, शेल्टर आदि हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में गत बैठक में भूमि को चिन्हित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। यह भी निर्देश दिये गये थे कि यदि भूमि नगर निगम/प्राधिकरण को गॉव सभा/[illegible] मिली है, उसे निःशुल्क उपलब्ध करायें, अन्यथा उसका मूल्य देकर कय/अधिग्रहण [illegible] सकता है। प्रयास यह होगा कि भूमि निःशुल्क प्राप्त हो सके। ऐसी चिन्हित भूमि को मास्टर प्लान में डालकर उसे फ्रीज कर दिया जाय। यह सहमति बनी कि विकास प्राधि[illegible] मास्टर प्लान बनाते समय नगरीय परिवहन हेतु भूमि का प्राविधान अवश्य रखा जाय। विकास प्राधिकरण, कानपुर/मेरठ द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा बस डिपो हेतु [illegible] एकड़ भूमि चिन्हित कर उपलब्ध करा दी गयी है। दुबग्गा बस स्टेशन एसपीवी लखन[illegible] दिये जाने के निर्देश दिये गये।"

उपर्युक्त कम में जेएनएनयूआरएम योजना से संबंधित समस्त सुसंगत शासन के दिशा निर्देश एवं अंतिम विस्तृत परियोजना आख्या (फाइनल डी0पी0आर0) की एक–एक प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि उक्त आदेशों का अक्षरशः अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही अगले 15 दिनों में कराकर अवगत करायें :–

1. तत्काल उपरोक्त सभी निर्देशों के आधार पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एसपीवी की बैठक आहूत कराकर उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर अनुपालन हेतु कार्यवाही करायें।
2. दिनांक 24.12.2010 एवं 30.12.2010 की बैठक में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. प्रत्येक एसपीवी की बैलेन्स शीट में लाभ–हानि एवं विवरण चार्टटेड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से बनवा लिया जाए जिसमें एसेंट/लायबिलिटी का स्पष्ट उल्लेख हो।
4. यदि विभिन्न नगरों में जेएनएनयूआरएम बसों हेतु डिपो के लिए कोई भूमि चिन्हित कर ली गई हो तो इसका अधिग्रहण/पुर्नग्रहण अतिशीघ्र किया जाए, तदोपरान्त एसपीवी के नाम स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करायी जाए।

5. उक्त योजना के अधीन संचालित की जाने वाली बसों का स्वामित्व तत्काल एसपीवी के नाम तत्काल हस्तांतरित कराया जाय।

6. परिवहन निगम के ऐसे बस स्टेशनों, जहाँ से जेएनएनयूआरएम की बसों का संचालन हो रहा है, वहाँ पर एसपीवी के प्रयोग हेतु किराया दर निर्धारण जिलाधिकारी सर्किल रेट पर अथवा नगर निगम के ए0आर0वी0 रेट में से जो भी अधिक हो, का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। ऐसे कोई भी निगम के बस स्टेशन सम्मिलित न हो, जिससे निगम का संचालन प्रभावित हो तथा उन बस स्टेशनों को शामिल नहीं किया जायेगा, जिनको निगम की पीपीपी योजना में सम्मिलित किया गया हो। तदनुसार ही इन्हें लाभ–हानि विवरण में प्रदर्शित किया जाए।

7. नगरीय परिवहन की बसों हेतु प्रयोग किया डीजल, सीएनजी एवं अन्य मदों का लेखा–जोखा पृथक रखा जाए तथा परिवहन निगम द्वारा जेएनएनयूआरएम के संचालन की तिथि से लेखा–जोखा पृथक–पृथक तैयार कराते हुए संबंधित क्षेत्र मै0 शरद श्रीवास्तव एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेट) को उपलब्ध करायेगें।

8. कार्यशालाओं की एएमसी से पूर्व कलपुर्जों एवं अन्य स्पेयर पार्टस में जितना व्यय हुआ है, उसका पूर्ण विवरण तत्काल अवगत कराया जाए।

9. डीजल, सीएनजी, एमएमसी एवं वेतन के मदों के अतिरिक्त कोई भी भुगतान परिवहन निगम द्वारा नही किया जाएगा। संचालन अवरूद्ध न हो, इस हेतु डीजल, सीएनजी एएसी एवं वेतन के मदों के हो रहे व्यय को एसपीवी को ऋण के रूप में स्थानान्तरित की जायेगी। इस हेतु एसपीवी के माध्यम से self sufficiency लाने का उपाय किया जाय। आय बढ़ाई जाय।

10. एसपीवी की बसों के अन्दर एवं बाहर प्रदर्शित विज्ञापन की आय एसपीवी अपने खाते में रखेगा तथा परिवहन निगम के बस स्टेशन, बस स्टाप आदि पर विज्ञापन के ... से प्राप्त धनराशि तत्काल परिवहन निगम मुख्यालय हस्तांतरित की जायगी।

11. नगरीय बसों के संचालन में जिन रूटों/मार्गों में किराया उचित प्रतीत नहीं हो रहा हो वहाँ पर एसपीवी द्वारा निर्णय लेकर किराये को संशोधित कर लिया जाय।

12. एसपीवी एक स्वतंत्र इकाई है एवं उसे अपना व्यय एवं अन्य व्यवस्थाएं अपने स्तर से ही करनी होंगी। इस संबंध में अध्यक्ष अथवा एसपीवी के निदेशक मण्डल से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

13. चालक/परिचालकों/स्टाफ की कमी के संबंध में संबंधित कम्पनी के अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एजेन्सी के माध्यम से आबद्ध किया जाय।

14. कम्पनी के अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत संचालन हेतु मार्गो का अंतिम विस्तृत परियोजना आख्या (फाइनल डीपीआर) के अन्तर्गत निर्धारण करें।

15. शासन के दिशा निर्देशों अनुरूप स्कूल अथवा कम्पनी आदि में बसें चार्टर करने के संबंध में कम्पनी के अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त लाभदायकता बढ़ाने के उद्देश्य से करना सुनिश्चित करे।

E18

122

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि एसपीवी का गठन होने के उपरान्त नगरीय संचालन एक स्वतंत्र ईकाई है एवं इसके संबंध में वित्तीय, प्रशासनिक एवं अन्य निर्णयों हेतु एसपीवी के निदेशक मण्डल में समुचित अधिकार प्रतिनिहित है। अतः एसपीवी से संबंध समस्त प्रकार के आयक–व्ययक एवं अन्य वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय उनके स्तर से ही होने हैं। भविष्य में इसके दृष्टिगत निर्णय अध्यक्ष, एसपीवी एवं एसपीवी के निदेशक मण्डल सें पारित कराकर कार्यवाही की जाय। उदाहरण स्वरूप एसपीवी के प्रबन्ध निदेशक कितना व्यय किस मद में कर सकते हैं इस संबंध में एसपीवी के अध्यक्ष अथवा बैठक के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त कर ही व्यय करना होगा।

संलग्नकः यथोक्त।

(नरेन्द्र भूषण)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः समसंख्यक/समदिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रधान प्रबन्धक, संचालन/नोडल अधिकारी, जेएनएनयूआरएम, परिवहन निगम मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करके विस्तृत आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जायेगी।

(नरेन्द्र भूषण)
प्रबन्ध निदेशक

D/M E/JnNURM/General.12